उच्च न्यायालय, पटना का क्षेत्राधिकार

सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 11794/2023

==========

डॉ. जनार्दन प्रसाद सुकुमार, पिता- जगदीश प्रसाद, निवासी- 76/104, नालबंध टोली, आलमगंज चोक, संपतचक, पटना, बिहार 80000

.... याचिकाकर्ता/गण

बनाम

1. बिहार राज्य, मुख्य सचिव बिहार सरकार के माध्यम से बिहार।
2. अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार, पटना।
3. अपर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार, पटना।
4. संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार, पटना।

.... उत्तरदाता/गण

==========

उपस्थितिः

याचिकाकर्ता के लिए : सुश्री सूर्य नीलांबरी,

राज्य की अधिवक्ता : श्री मुज्ताबौल हक, जीपी-12

श्री वसंत विकास, एसी से जीपी-12

==========

वर्तमान रिट याचिका अपर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार, पटना द्वारा पारित दिनांक 28.10.2022 के दंड के आदेश को रद्द करने के लिए दायर की गई है, जिसके तहत याचिकाकर्ता को सेवा से बर्खास्तगी की सजा दी गई है। याचिकाकर्ता ने संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार, पटना के हस्ताक्षर से जारी दिनांक 19.06.2023 के आदेश को रद्द करने के लिए भी प्रार्थना की है, जिसके तहत याचिकाकर्ता द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया गया है। अंत में, याचिकाकर्ता ने सेवा में बहाली और सभी परिणामी लाभों के भुगतान के लिए प्रार्थना की है। याचिकाकर्ता को दिनांक 19.06.2023 के आदेश के तहत निलंबित कर दिया गया। 31/12/2021 – विभागीय कार्यवाही शुरू हुई – जांच अधिकारी ने जांच के बाद सभी पांच

आरोप सिद्ध पाए – उन्होंने जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की, तदनुसार – अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने सेवा से बर्खास्तगी की सजा के लिए दिनांक 28/102022 का दंड आदेश पारित किया- याचिकाकर्ता ने समीक्षा / ज्ञापन को प्राथमिकता दी- इसे भी दिनांक 19/06/2023 के आदेश के तहत खारिज कर दिया गया – इसलिए वर्तमान रिट आवेदन। याचिकाकर्ता का दावा है कि अनुशासनात्मक प्राधिकारी गवाहों की सूची के अनिवार्य प्रावधान और आरोपों का समर्थन करने वाले पर्याप्त दस्तावेज उपलब्ध कराने से संबंधित नियम 17(3) का पालन करने में विफल रहा। याचिकाकर्ता को गवाहों से जिरह करने का अवसर नहीं दिया गया, जिससे प्राकृतिक न्याय के मौलिक सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ। जांच रिपोर्ट केवल एक गवाह कामाख्या नारायण सिंह के अपरीक्षित बयान पर आधारित थी, जिसका उचित जांच और जिरह के बिना याचिकाकर्ता के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। राज्य का तर्क है कि अनुशासनात्मक कार्यवाही में अपनाई गई प्रक्रियाएं उचित थीं और उच्च न्यायालय को उन कार्यवाहियों के दौरान प्रस्तुत साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन करने से बचना चाहिए।- राज्य का कहना है कि जांच स्थापित नियमों के अनुसार की गई थी और इस प्रकार, आरोपित आदेश में बाधा नहीं डाली जानी चाहिए। यह पाया गया और माना गया कि, दिनांक 28.10.2022 का आरोपित सजा आदेश, दिनांक 08.06.2022 की एक औपचारिक और अवैध जांच रिपोर्ट पर आधारित है, यहां यह बताना पर्याप्त होगा कि दिनांक 28.10.2022 के आरोपित बर्खास्तगी आदेश का मात्र अवलोकन यह दिखाएगा कि अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा याचिकाकर्ता पर बर्खास्तगी की सजा देने के निर्णय पर पहुंचने के लिए कोई स्पष्ट, ठोस और संक्षिप्त कारण प्रस्तुत नहीं किए गए हैं और इसके अलावा न तो कोई दिमाग का प्रयोग दिखाता है और

न ही शामिल मुद्दों पर विचार करता है और न ही बर्खास्तगी का आदेश पारित करने का कोई औचित्य दर्शाता है, और न ही याचिकाकर्ता द्वारा 26.07.2022 को दायर उत्तर के माध्यम से प्रस्तुत बचाव पर विचार करता है, इसलिए इस आधार पर भी, दिनांक 28.10.2022 का आरोपित सजा आदेश रद्द किए जाने योग्य है। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ओरिक्स फिशरीज प्राइवेट लिमिटेड बनाम भारत संघ के मामले में दिए गए निर्णय, (2010) 13 एससीसी 427 में रिपोर्ट किए गए और इस न्यायालय द्वारा आभा कुमारी (सुप्रा) के मामले में दिए गए निर्णय का संदर्भ लिया जाना चाहिए।

दिनांक 08.06.2022 की जांच रिपोर्ट और दिनांक 28.10.2022 के दंड के आदेश को रद्द करने के परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ता द्वारा दायर अपील/समीक्षा/मेमोरेंडम को खारिज करने वाले दिनांक 19.06.2023 के आदेश का कोई आधार नहीं है, इसलिए इसे भी रद्द किया जाता है।

चूंकि विचाराधीन अनुशासनात्मक कार्यवाही में दुर्भावना से भाग लिया गया है और अनुशासनात्मक प्राधिकारी की कार्रवाई किसी तरह से याचिकाकर्ता को बर्खास्तगी की सजा देने की साजिश की बू आती है और साथ ही रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री पर्याप्त रूप से प्रदर्शित करती है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को नजरअंदाज किया गया है और याचिकाकर्ता को पीड़ित किया गया है, इस प्रकार यह न्यायालय इस विचार पर है कि दिनांक 08.06.2022 की जांच रिपोर्ट, दिनांक 28.10.2022 के दंड के आदेश और याचिकाकर्ता की अपील/समीक्षा/मेमोरेंडम पर पारित दिनांक 19.06.2023 के आदेश को रद्द करने के परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ता दीपाली गुंडू सुरवासे बनाम क्रांति जूनियर अध्यापक महाविद्यालय और अन्य के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के मद्देनजर, सभी परिणामी लाभों के साथ-

साथ सेवानिवृत्ति बकाया के साथ पूर्ण पिछला वेतन पाने का हकदार है। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए तथा उपर्युक्त कारणों से, रिट याचिका को इस निर्देश के साथ स्वीकार किया जाता है कि प्रतिवादियों को आज से तीन महीने की अवधि के भीतर याचिकाकर्ता को पूरा वेतन, सभी परिणामी लाभ तथा सेवानिवृत्ति बकाया का भुगतान करने का निर्देश दिया जाए।

रिट आवेदन स्वीकार किया जाता है।

==========

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

==========

समक्षः- माननीय न्यायमूर्ति श्री मोहित कुमार शाह

मौखिक निर्णय

तारीखः 20-04-2024

वर्तमान रिट याचिका अपर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार, पटना द्वारा पारित दिनांक 28.10.2022 के दंड आदेश को रद्द करने के लिए दायर की गई है, जिसके तहत याचिकाकर्ता को सेवा से बर्खास्तगी की सजा दी गई है। संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार, पटना के हस्ताक्षर, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया गया है। अंत में, याचिकाकर्ता ने सेवा में बहाली और सभी परिणामी लाभों के भुगतान के लिए प्रार्थना की है।

2. याचिकाकर्ता के अनुसार मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता वर्ष 1983 में राज्य सरकार की सेवा में शामिल हुआ था और उसके बाद से वह सभी संबंधितों की संतुष्टि के लिए बेदाग सेवा प्रदान कर रहा है।

याचिकाकर्ता को विभागीय कार्यवाही शुरू करने के विचार में दिनांक 31.12.2021 के आदेश के तहत अचानक निलंबित कर दिया गया था, जिसके बाद याचिकाकर्ता के खिलाफ दिनांक 15.02.2022 के ज्ञापन के तहत विभागीय कार्यवाही शुरू की गई थी। इसके बाद याचिकाकर्ता को दिनांक 17.02.2022 को "प्रपत्र-का" में आरोप पत्र दिया गया, जिसमें याचिकाकर्ता के खिलाफ पांच आरोप लगाए गए थे, जिन्हें नीचे पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है:-

प्रपत्र-क

आ0सं0	आरोप/लांछन का अभिकथन
1.	पुलिस अधीक्षक](मुख्यालय) प्रथम डिहरी रोहतास के ज्ञापांक- 914 दिनांक- 29.12.2021 के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर जिला पदाधिकारी] रोहतास] सासाराम के पत्रांक-3683/गो0 दिनांक-30.12.2021 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि सरकारी कार्यक्रम स्वास्थ्य विभाग के द्वारा निर्धारित कोविड प्रोटोकॉल के पालन हेतु आप दिनांक-23.12.2021 को होटल रोहित इन्दरनेशनल, सासाराम मे आवासित थे। उक्त तिथि को रात्रि 11:00 बजे स्थानीय पुलिस द्वारा होटल के विभिन्न कमरों में छापेमारी की गयी। छापेमारी के क्रम मे पुलिस द्वारा कमरा स0- 306 को खुलवाया गया, जिसमें एक व्यक्ति, एक महिला एवं दो कम उम्र की लड़की आवासित पायी गयी। आपके द्वारा दरवाजे खोलने मे अनावश्यक विलंब किया गया। पुनः कमरे खोलने के पश्चात आप कमरा न0- 307 में चले गए। कमरा न0- 306 में आवासित महिला द्वारा बताया गया कि वे आपकी संबंधी है। जाँच के क्रम में उनके नाम/पता की जानकारी होने पर यह परिलक्षित होता है कि उनकी कथन कि वे आपके संबंधी हैं, प्रथम दृष्टया गलत बयान प्र-

	तीत होता है, क्योकि उक्त महिला एवं लडकियों का नाम क्रमशः रानी खातुन (उम्र- 35 वर्ष) पति- मो0 फकरूद्दीन मोहम्मद, सबा खातुन, उम्र-14 वर्ष, रूक्सार उम्र-12 वर्ष है। उक्त महिला एवं दो लड़की का रा-त्रिकाल में आपके आरक्षित कमरे मे आवासित पाया जाना कही न कही आपके चरित्र/ आचरण को संदिग्ध बनाता है। आपका यह कृत्य बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम-3 (4) मे निहित प्रावधानों के प्रतिकूल है।
2.	पुलिस के छापेमारी के दौरान होटल रोहित इन्टरनेशनल, सासाराम से बिना किसी सूचना के छाप ेमारी स्थल से चले जाना तथा पुलिस के समक्ष ब्रेथ ऐनालाईजर के जाँच के लिए उपलब्ध नहीं होना भी आपके संदिगध आचरण को व्यक्त करता है। साथ ही साथ पुलिस उपाधीक्षक, मुख्यालय) प्रथम डिहरी रोहतास के ज्ञापांक- 914 दिनांक- 29.12.2021 द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन को भी सही सम्पुष्ट करता है। आपका यह कृत्य बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम-4 में निहित प्रावधानो के प्रतिकूल है।
3.	होटल रोहित इन्दरनेशनल, सासाराम के कमरा नं0- 306/307 आपके नाम से आरक्षित था एवं पुलिस के छापेमारी के दौरान आप वहां आवासीत भी पाए गए, ऐसे में कमरा न0-306 से एक व्यक्ति नशे की हालत में पाए गए एवं जेल भेजे गए। इस प्रकरण से स्पष्ट परिल-क्षित होता है कि उक्त कमरा में मद्यपान एवं अन्य क्रियाकलाप किया जा रहा था, उसके लिए आप प्रथम दृष्टया दोषी प्रतीत होते है।
4.	प्रासंगिक मामले में स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज होने के उपरान्त आपके द्वारा पी0आर0 बोण्ड भरने के उपरान्त जमानत पर विमुक्त

	किया गया। परन्तु आपके द्वारा इस आशय की सूचना विभाग को नहीं दी गयी, जो सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना क पत्रांक- 8334 दिनांक- 15.09.20 में निहित अनुदेशो के प्रतिकूल है।
5.	आपका उपर्युक्त आचरण बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम-3 (1)(पप) के निरूपित अनुदेश के प्रतिकूल है।

"आपका उपर्युकत कृत्य कर्तब्य के प्रति घोर लापरवाही, उदासीनता, स्वेच्छाचारिता एवं अकर्मण्यता का द्योतक है।"

याचिकाकर्ता ने इसके बाद 29.03.2022 को आरोप के उपरोक्त ज्ञापन पर एक विस्तृत जवाब दाखिल किया था, जिसके बाद जांच अधिकारी ने जांच को आगे बढ़ाया था और अंततः 08.06.2022 को एक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसमें पाया गया था कि याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाए गए सभी आरोप साबित हुए हैं। अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने तब 06.07.2022 को दूसरा कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिस पर याचिकाकर्ता ने 26.07.2022 को जवाब दाखिल किया था और फिर अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता को सेवा से बर्खास्त करने की सजा देते हुए 28.10.2022 को सजा का आदेश पारित किया था। याचिकाकर्ता ने तब उक्त आदेश के खिलाफ समीक्षा/स्मारक पेश किया था। 28.10.2022 को, 30.11.2022 को, हालांकि, इसे भी 19.06.2023 के आदेश के अनुसार खारिज कर दिया गया था। इस तरह, याचिकाकर्ता इस न्यायालय के समक्ष है।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि जहां तक आरोप ज्ञापन का सवाल है, उसमें गवाहों की कोई सूची नहीं है, इसलिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 2005 (जिसे आगे "नियम 2005" कहा जाएगा) के नियम 17(3) का अनुपालन न करने तथा

बिहार सरकारी सेवकों के विरुद्ध आरोप के अनुच्छेदों की रूपरेखा विनियम, 2017 के विनियम 3 के विपरीत होने के कारण आरोप ज्ञापन स्वयं दोषपूर्ण है। परिणामस्वरूप, 28.10.2022 का दंड आदेश केवल इसी आधार पर निरस्त किए जाने योग्य है। इस संबंध में **अश्विनी कुमार बनाम बिहार राज्य** के मामले में इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा दिए गए निर्णय का संदर्भ दिया गया है, जिसकी रिपोर्ट **2017 (3) पीएलजेआर 500** में दी गई है, जिसका पैरा संख्या 9 नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:-

> *"9. इससे पहले कि मैं उठाए गए और विवादित मुद्दे पर आगे बढ़ूं, मैं नियमों' के नियम इससे पहले कि मैं उठाए गए और विवादित मुद्दे पर आगे बढ़ूं, मैं नियमों' के नियम 17 का संदर्भ लेना आवश्यक समझता हूं, जो अनुशासनात्मक प्राधिकारी पर एक प्रमुख दंड लगाने के लिए कार्यवाही करने से पहले उसे मुक्त करने की आवश्यकता के लिए कुछ दायित्व डालता है। नियमों का नियम 17 (3) एक आरोप पत्र तैयार करने से संबंधित है और जो अन्य बातों के साथ-साथ अनुशासनात्मक प्राधिकारी को न केवल उन दस्तावेजों की एक सूची देने की आवश्यक-ता है, जिन पर आरोप आधारित है, बल्कि ऐसे गवाहों की सूची भी दें, जिनके द्वारा आरोपों का लेख साबित किया जाना है। अनुलग्नक-18 आरोप पत्र है और जो केवल कुछ दस्तावेजों को साक्ष्य के रूप में संद-र्भित करता है, लेकिन आरोप पत्र के साथ गवाहों की कोई सूची नहीं है, जिनके माध्यम से विभाग ने आरोपों को बरकरार रखने का प्रस्ताव दिया है। दूसरे शब्दों मे, आरोप पत्र स्वयं वैधानिक नुस्खे से परे है जब तक कि आरोप पत्र के साथ गवाहों की एक सूची नहीं है, जिन दस्ता-*

वेजों पर भरोसा किया जाता है विभाग द्वारा स्वप्रेरणा से की गई कार्य-वाही पर केवल आरोप सिद्ध करने के लिए भरोसा नहीं किया जा सक-ता है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने ***रूप सिंह नेगी बनाम पंजाब नेशनल बैंक*** *के मामले में माना है, जिसे* ***(2009) 2 एससीसी 570*** *में रिपोर्ट किया गया है। यह एक ऐसा मामला था जिसमें विभाग दोष सिद्ध कर-ने के लिए प्रथम सूचना रिपोर्ट पर भरोसा कर रहा था, लेकिन पुलिस रिपोर्ट को साबित करने के लिए प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा कोई गवाह पेश नहीं किया गया था और यह ऐसी परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए है कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय के पैराग्राफ 14 में इस प्रकार माना है:*

14. निस्संदेह, विभागीय कार्यवाही एक अर्ध-न्यायिक कार्यवाही है। जांच अधिकारी एक अर्ध-न्यायिक कार्य करता है। दोषी अधिकारी के खिलाफ लगाए गए आरोपों को साबित किया जाना चाहिए। जांच अधिकारी का कर्तव्य है कि वह पक्षों द्वारा रिकॉर्ड पर लाई गई सामग्री पर विचार करके निष्कर्ष पर पहुंचे। जांच अधिकारी द्वारा सभी आरोपि-यों के खिलाफ जांच के दौरान एकत्र किए गए कथित साक्ष्य को अनु-शासनात्मक कार्यवाही में साक्ष्य नहीं माना जा सकता। उक्त दस्तावेजों को साबित करने के लिए किसी गवाह की जांच नहीं की गई। प्रबंधन के गवाहों ने केवल दस्तावेज पेश किए और उनकी सामग्री को साबित नहीं किया। जांच अधिकारी ने अन्य बातों के साथ-साथ एफआईआर पर भरोसा किया, जिसे सबूत नहीं माना जा सकता था।

(जोर दिया गया है)

उपरोक्त मुद्दे पर, याचिकाकर्ता के वकील ने **फ्रेडरिक जूलियस डेवी बनाम बिहार राज्य और अन्य** के मामले में इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा सीडब्ल्यूजेसी संख्या 738/2014 में पारित दिनांक 22.11.2023 के निर्णय का भी हवाला दिया है।

4. याचिकाकर्ता के वकील ने आगे दलील दी है कि दिनांक 08.06.2022 की जांच रिपोर्ट बाहरी विचार पर आधारित है, क्योंकि उसी रिपोर्ट में यह दर्ज है कि याचिकाकर्ता शराब पीने के आरोप का दोषी है, जबकि यह आरोप भी नहीं था, जो कि दिनांक 17.02.2022 के आरोप ज्ञापन के अवलोकन से स्पष्ट है। इस प्रकार, यह दलील दी गई है कि जांच अधिकारी को उस आरोप की जांच करने से रोक दिया गया है, जिसके लिए दोषी अधिकारी पर आरोप नहीं लगाया गया है। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ***एम.वी. बिजलानी बनाम भारत संघ एवं अन्य*** के मामले में दिए गए निर्णय का संदर्भ दिया गया है, जिसकी रिपोर्ट ***(2006) 5 एससीसी 88*** में दी गई है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि यद्यपि सिविल सर्जन, रोहतास द्वारा लिखे गए पत्र और पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय) द्वारा दिनांक 29.12.2021 को प्रस्तुत प्रारंभिक जांच रिपोर्ट पर जांच अधिकारी द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए भरोसा किया गया है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोप सिद्ध हो गए हैं, हालांकि, न तो उक्त दस्तावेज कभी प्रदर्शित किए गए और न ही उनके निर्माता की कभी जांच की गई, इसलिए, जांच अधिकारी द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए ऐसी बाहरी सामग्रियों पर विचार नहीं किया जा सकता था कि याचिकाकर्ता उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों का दोषी है। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ***लक्ष्मी देवी शुगर मिल्स लिमिटेड बनाम श्री***

नंद किशोर सिंह के मामले में दिए गए निर्णय का संदर्भ दिया गया है, जो ***एआईआर 1957 एससी 7*** में रिपोर्ट किया गया है, साथ ही इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा ***मिथिलेश कुमार बनाम बिहार राज्य*** के मामले में दिए गए निर्णय का भी संदर्भ दिया गया है, जो ***2021 (4) पीएलजेआर 428*** में रिपोर्ट किया गया है, साथ ही इस न्यायालय द्वारा ***राजेंद्र प्रसाद शाह बनाम बिहार राज्य और अन्य*** के मामले में दिए गए निर्णय का भी संदर्भ दिया गया है, जो ***2018 (3) पीएलजेआर 939*** में रिपोर्ट किया गया है।

5. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा कहा गया है कि जहां तक दिनांक 08.06.2022 की जांच रिपोर्ट का संबंध है, वह किसी साक्ष्य पर आधारित नहीं है, क्योंकि सबसे पहले, हालांकि आरोप संख्या 1 में उल्लेख किया गया है कि याचिकाकर्ता कमरा संख्या 306 में पाया गया था, हालांकि, जांच अधिकारी ने इस तरह से कार्यवाही की है जैसे कि याचिकाकर्ता कमरा संख्या 307 में पाया गया था और परिणामस्वरूप, वह इस निष्कर्ष पर भी पहुंचे हैं कि याचिकाकर्ता को एक महिला और दो बच्चों के साथ कमरा संख्या 307 से बरामद किया गया था। इस प्रकार, यह प्रस्तुत किया गया है कि जांच कार्यालय द्वारा दिनांक 08.06.2022 की अपनी रिपोर्ट में प्राप्त उक्त निष्कर्ष याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोप के विपरीत है। आगे यह भी प्रस्तुत किया गया है कि यद्यपि जांच अधिकारी ने 23.12.2021 को सासाराम स्थित रोहित इंटरनेशनल होटल में छापेमारी करने वाले पुलिस निरीक्षक कामाख्या नारायण सिंह के साक्ष्य और रोहतास के प्रभारी सिविल सर्जन डॉ. के.एन. तिवारी के लिखित बयान पर भरोसा किया है, तथापि, न तो उक्त गवाहों का नाम आरोप-पत्र में दिया गया है और न ही याचिकाकर्ता की उपस्थिति में उनकी जांच की गई और न ही याचिकाकर्ता को कभी भी उक्त गवाहों से जिरह

करने का कोई अवसर दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ और केवल इसी आधार पर, दिनांक 08.06.2022 की जांच रिपोर्ट को खारिज किया जाना उचित है। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ***बृज बिहार सिंह बनाम बिहार राज्य वित्तीय निगम एवं अन्य*** के मामले में दिए गए निर्णय का संदर्भ दिया गया है, जिसकी रिपोर्ट ***(2015) 17 एससीसी 541*** में दी गई है। जिसका पैराग्राफ संख्या 9 नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:-

> *"9. यह अच्छी तरह से स्थापित है कि जिस व्यक्ति को लगाए गए आरोप का जवाब देने की आवश्यकता होती है, उसे न केवल आरोप के बारे में पता होना चाहिए, बल्कि उस गवाही के बारे में भी पता होना चाहिए जिसके द्वारा आरोप का समर्थन किया जाता है। अपराधी को आरोप के समर्थन में साक्ष्य सुनने और आरोप को साबित करने वाले गवाहों से जिरह करने का उचित मौका दिया जाना चाहिए। अपराधी को उसके खिलाफ पेश किए गए सबूतों का खंडन करने का भी मौका दिया जाना चाहिए। इस आवश्यकता से विचलन प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। इसके अलावा, अपराध को इंगित करने वाली रिकॉर्ड पर लाई गई सामग्री को साबित करना आवश्यक है। यदि जांच रिपोर्ट केवल अपने आप पर आधारित है और साथ ही अनुमान और अनुमान पर आधारित है, तो इसे कानून में कायम नहीं रखा जा सकता है।"*

6. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने ***प्रदीप सिंह बनाम बिहार राज्य*** के मामले में इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय पर भी भरोसा किया है, जो ***2021 (3) पीएलजेआर 599*** में रिपोर्ट किया गया है, पैराग्राफ संख्या 9 जिसका पुनः उल्लेख नीचे किया गया है:-

> "9. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अध्ययन किया है। इस न्यायालय ने पाया है कि सबसे पहले याचिकाकर्ता को अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षित गवाहों से जिरह करने का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया है, जिसके

परिणामस्वरूप निश्चित रूप से प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ है। इस न्यायालय ने यह भी पाया है कि विभागीय कार्यवाही के दौरान मौखिक या दस्तावेजी रूप से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे याचिकाकर्ता के दोषी होने का पता चलता हो, इसलिए वर्तमान मामला साक्ष्य रहित मामला है। इस संबंध में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ***रूप सिंह नेगी बनाम पंजाब नेशनल बैंक एवं अन्य***, (2009) 2 एससीसी 570 में रिपोर्ट किए गए तथा (2010) 2 एससीसी 772 (उत्तर प्रदेश राज्य बनाम सरोज कुमार सिन्हा) में दिए गए निर्णय का संदर्भ लेना प्रासंगिक होगा। नीचे सरोज कुमार सिन्हा (सुप्रा) के मामले में दिए गए निर्णय के पैराग्राफ संख्या 27 से 29 का संदर्भ देना उचित होगा:-

> *27. उपर्युक्त उपनियम के अवलोकन से पता चलता है कि जब प्रतिवादी आरोप-पत्र में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने में विफल रहा तो जांच अधिकारी पर यह दायित्व था कि वह जांच में उसके उपस्थित होने की तिथि निर्धारित करे। केवल ऐसे मामले में जब सरकारी कर्मचारी निर्धारित तिथि की सूचना के बावजूद उपस्थित होने में विफल रहता है, जांच अधिकारी एकपक्षीय जांच कर सकता है। ऐसी परिस्थितियों में भी जांच अधिकारी पर आरोप-पत्र में उल्लिखित गवाहों के बयान दर्ज करने का दायित्व है। चूंकि सरकारी कर्मचारी अनुपस्थित है, इसलिए वह स्पष्ट रूप से गवाहों की जिरह का लाभ खो देगा। लेकिन फिर भी आरोपों को स्थापित करने के लिए विभाग को जांच अधिकारी के समक्ष आवश्यक साक्ष्य प्रस्तुत करना आवश्यक है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि यह आरोप न लगे कि जांच अधिकारी ने अभियोजक के साथ-साथ न्यायाधीश के रूप में भी काम किया है।*
>
> *28. अर्ध न्यायिक प्राधिकरण में कार्यरत जांच अधिकारी स्वतंत्र निर्णायक की स्थिति में होता है। उसे विभाग/अनुशासनात्मक प्राधिकरण/सरकार का प्रतिनिधि नहीं माना जाता है। उसका कार्य विभाग द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य की जांच करना है, यहां तक*

दोषी अधिकारी की अनुपस्थिति में भी यह देखना है कि आरोपों को साबित करने के लिए अखंडित साक्ष्य पर्याप्त हैं या नहीं। वर्तमान मामले में उपर्युक्त प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। चूंकि मौखिक साक्ष्य की जांच नहीं की गई है, इसलिए दस्तावेज साबित नहीं हुए हैं और यह निष्कर्ष निकालने के लिए उन पर विचार नहीं किया जा सकता है कि प्रतिवादियों के खिलाफ आरोप साबित हुए हैं।

29. उपरोक्त के अलावा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311(2) के अनुसार विभागीय जांच प्राकृतिक न्याय के नियमों के अनुसार की जानी चाहिए। प्राकृतिक न्याय के नियमों की यह बुनियादी आवश्यकता है कि किसी भी कार्यवाही में कर्मचारी को सुनवाई का उचित अवसर दिया जाना चाहिए, जिसके परिणामस्वरूप कर्मचारी को सजा दी जा सकती है।

इस प्रकार, यह प्रस्तुत किया गया है कि चूंकि याचिकाकर्ता को गवाहों से जिरह करने का कोई अवसर नहीं दिया गया है, इस तथ्य के अलावा कि गवाहों की जांच भी याचिकाकर्ता की उपस्थिति में जांच अधिकारी द्वारा नहीं की गई है, इसलिए प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का निश्चित रूप से उल्लंघन किया गया है, इसलिए दिनांक 08.06.2022 की जांच रिपोर्ट केवल इसी आधार पर रद्द किए जाने योग्य है।

7. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने आगे तर्क दिया कि जहां तक आरोप संख्या 2 का सवाल है, वह भी नहीं बनता है, क्योंकि सबसे पहले, अभियोजन पक्ष ने उक्त आरोप को साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं पेश किया है और इसके अलावा, पुलिस ने याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं की है और न ही कहीं से कोई ऐसी बात सामने आई है कि याचिकाकर्ता ने ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट के लिए खुद को पुलिस के पास उपलब्ध नहीं कराया

था। आरोप संख्या 3 के संबंध में, यह प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता को कमरा संख्या 307 में पाया गया था, जबकि वह व्यक्ति, जो नशे की हालत में था, कमरा संख्या 306 में पाया गया था, इसलिए यह कहना कि चूंकि कमरा संख्या 306 से बरामद व्यक्ति नशे की हालत में था, इसलिए यह निष्कर्ष होगा कि याचिकाकर्ता ने शराब भी पी थी, बेतुका और काल्पनिक है। जहां तक आरोप संख्या 4 का सवाल है, यह प्रस्तुत किया गया है कि यह तथ्यात्मक रूप से गलत है क्योंकि न तो याचिकाकर्ता के खिलाफ कभी कोई एफआईआर दर्ज की गई थी और न ही याचिकाकर्ता को जमानत प्राप्त करने की आवश्यकता थी, इसलिए गैर-मौजूद तथ्य के संबंध में विभाग को सूचित करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। आरोप संख्या 5 प्रकृति में औपचारिक है क्योंकि इसमें कहा गया है कि याचिकाकर्ता का आचरण बिहार सरकारी सेवक आचरण नियमावली, 1976 के नियम 3(1)(ii) के तहत अपेक्षित आचरण के अनुरूप नहीं है, हालांकि यह न केवल तथ्यात्मक रूप से गलत है बल्कि यह किसी साक्ष्य पर आधारित नहीं है।

8. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा यह कहा गया है कि वर्तमान मामला साक्ष्य का मामला नहीं है, क्योंकि अभियोजन पक्ष आरोपों को सिद्ध करने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रहा है कि जब याचिकाकर्ता सासाराम के आधिकारिक दौरे पर रोहित इंटरनेशनल होटल, सासाराम में ठहरे थे, तो उनके साथ एक महिला और दो लड़कियां पाई गईं, क्योंकि न तो उक्त होटल के प्रबंधक, न ही उक्त महिला और न ही उक्त लड़कियों की जांच की गई है और केवल सासाराम पुलिस स्टेशन के पुलिस निरीक्षक कामाख्या नारायण सिंह के दिनांक 04.05.2022 के लिखित बयान के आधार पर जांच अधिकारी ने याचिकाकर्ता को दोषी पाया है, हालांकि उक्त गवाह से जांच अधिकारी द्वारा

कभी भी पूछताछ नहीं की गई, याचिकाकर्ता को उक्त गवाह से जिरह करने का कोई अवसर भी नहीं दिया गया। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **रूप सिंह नेगी बनाम पंजाब नेशनल बैंक**, **(2009) 2 एससीसी 570** में रिपोर्ट किए गए मामले में दिए गए निर्णय का संदर्भ दिया गया है, साथ ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **उत्तर प्रदेश राज्य बनाम सरोज कुमार सिन्हा, (2010) 2 एससीसी 772** में रिपोर्ट किए गए मामले में दिए गए निर्णय का भी संदर्भ दिया गया है।

9. याचिकाकर्ता के वकील ने आगे दलील दी कि दूसरा कारण बताओ नोटिस दिनांक 06.07.2022 भी 17.02.2022 के आरोप ज्ञापन के विपरीत है, क्योंकि आरोप ज्ञापन में कहीं भी यह आरोप नहीं लगाया गया है कि याचिकाकर्ता ने शराब पी थी, हालांकि, दूसरा कारण बताओ नोटिस इस आधार पर आगे बढ़ता है कि याचिकाकर्ता को शराब पीने का दोषी पाया गया है। जहां तक 28.10.2022 के सजा के आदेश का सवाल है, एल.डी. याचिकाकर्ता के वकील ने प्रस्तुत किया है कि यह गूढ़ है, इसमें विवेक का प्रयोग नहीं किया गया है और याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 06.07.2022 को जारी दूसरे कारण बताओ नोटिस पर दिए गए उत्तर पर विचार नहीं किया गया है, इसलिए इसे रद्द किया जाना उचित है, क्योंकि इसे नियम, 2005 के उल्लंघन में पारित किया गया है, जो संबंधित अधिकारियों के लिए कर्मचारियों द्वारा किए गए अभ्यावेदन पर विचार करना अनिवार्य बनाता है और इस तरह के विचार का अर्थ है विवेक का प्रयोग, साथ ही कर्मचारियों द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण पर वस्तुनिष्ठ आधार पर विचार करना। इस संबंध में इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा ***डॉ. रविन्द्र नाथ सिंह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य, 1983 पीएलजेआर 92*** में रिपोर्ट किए गए मामले में दिए गए

निर्णय का संदर्भ दिया गया है, साथ ही इस न्यायालय द्वारा ***आभा कुमारी बनाम बिहार राज्य एवं अन्य, 2023 एससीसीऑनलाइन पैट 4370*** में रिपोर्ट किए गए मामले में दिए गए निर्णय का भी संदर्भ दिया गया है, जिसके पैराग्राफ संख्या 4 से 7 नीचे प्रस्तुत किए गए हैं:-

> *"**4.** याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने आगे प्रस्तुत किया है कि प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा पारित दिनांक 30.6.2015 का आरोपित आदेश यह दर्शाता है कि यह केवल तथ्यों का वर्णन है और इसमें न तो याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत बचाव पर विचार किया गया है और न ही याचिकाकर्ता द्वारा कथित रूप से की गई अनियमितताओं के उदाहरणों और उनके सबूतों का उल्लेख किया गया है, इसलिए यह भी किसी साक्ष्य पर आधारित नहीं है, यह एक रहस्यमय आदेश होने के अलावा उचित विवेक का प्रयोग नहीं दर्शाता है, क्योंकि याचिकाकर्ता को दंड देने के लिए कोई ठोस या संक्षिप्त कारण प्रस्तुत नहीं किया गया है, जो निर्णय लेने की प्रक्रिया का एक अनिवार्य हिस्सा है। इस संबंध में याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने जनेश्वर सिन्हा बनाम बिहार राज्य, (2022) 1 पीएलजेआर 169 के मामले में इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा दिए गए निर्णय का हवाला दिया है, जिसके पैराग्राफ संख्या 5 और 9 को ऊपर पुनः प्रस्तुत किया गया है:-*
>
> *"5. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि अनुशासनात्मक प्राधिकारी अर्ध-न्यायिक शक्ति का प्रयोग कर रहा था। इसलिए, वह याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए बचाव का उल्लेख करने के लिए बाध्य था, जो प्राधिकारी के समक्ष विचार के लिए महत्वपूर्ण होता और उसके बाद एक तर्कसंगत आदेश द्वारा उसे खारिज कर दिया*

जाना चाहिए था। किसी भी कारण के अभाव में, आरोपित आदेश विवेक के गैर-अनुप्रयोग और मनमानी से ग्रस्त है, इसलिए यह कानून में टिकने योग्य नहीं है।

6. राज्य ने याचिकाकर्ता के दावे का खंडन करते हुए विस्तृत जवाबी हलफनामा दायर किया है, हालांकि इस बात पर विवाद नहीं है कि आरोपित आदेश याचिकाकर्ता के बचाव या उसे स्वीकार न करने के कारण का खुलासा नहीं करता है।

7. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा भरोसा किए गए रूप सिंह नेगी बनाम पंजाब नेशनल बैंक, (2009) 2 एससीसी 570 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि "निस्संदेह, विभागीय कार्यवाही एक अर्ध-न्यायिक कार्यवाही है। जांच अधिकारी एक अर्ध-न्यायिक कार्य करता है। दोषी अधिकारी के खिलाफ लगाए गए आरोपों को सिद्ध पाया जाना चाहिए। जांच अधिकारी का कर्तव्य है कि वह पक्षों द्वारा रिकॉर्ड पर लाई गई सामग्री को ध्यान में रखते हुए निष्कर्ष पर पहुंचे।" "इसके अलावा, अनुशासनात्मक प्राधिकारी और अपीलीय प्राधिकारी के आदेश किसी भी कारण से समर्थित नहीं हैं। चूंकि उनके द्वारा पारित आदेशों के गंभीर नागरिक परिणाम हैं, इसलिए उचित कारण बताए जाने चाहिए।"

8. इस मामले में स्पष्ट रूप से अनुशासनात्मक अधिकारी ने याचिकाकर्ता के विरुद्ध दंड देने का कोई कारण नहीं बताया है। अतः आरोपित आदेश निरस्त किया जाता है। इस मामले को आगे बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वर्ष 2001 में सेवानिवृत्त हुए याचिकाकर्ता के साथ पर्याप्त अन्याय हुआ है।

9. अतः अधिकारियों को निर्देश दिया जाता है कि वे निलंबन अवधि के लिए संपूर्ण वेतन सहित संपूर्ण सेवानिवृत्ति बकाया का भुगतान करें, जिसमें पहले से भुगतान की गई राशि को घटा दिया जाए। निलंबन अवधि 08.03.1999 से 30.11.2000 के बीच थी। यदि आरोपित आदेश के अनुसरण में याचिकाकर्ता से कोई वसूली की गई है तो वह भी याचिकाकर्ता को वापस कर दी जाएगी।

5. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा डॉ. कमला सिंह बनाम बिहार राज्य, (2023) 1 पीएलजेआर 803, पैराग्राफ संख्या 7 के मामले में दिए गए एक अन्य निर्णय का हवाला दिया है, जिसका पुनः उल्लेख नीचे किया गया है:

"7. जहां तक याचिकाकर्ता के दूसरे तर्क का सवाल है, उसमें दम है। सजा के आदेश के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता के कारण बताओ नोटिस पर विचार किए बिना या चर्चा किए बिना ही यांत्रिक रूप से विवादित आदेश पारित कर दिया है। विवादित आदेश में इस बात पर कोई चर्चा नहीं है कि याचिकाकर्ता का दूसरा कारण बताओ नोटिस का जवाब अनुशासनात्मक प्राधिकारी को स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि इसमें उठाए गए बिंदुओं का हवाला दिया गया है। इस मामले में सजा का आदेश विवेक के इस्तेमाल का खुलासा नहीं करता है। बिहार सीसीए नियम, 2005 के नियम 19 के अनुसार, संबंधित अधिकारियों पर कर्मचारियों द्वारा किए गए अभ्यावेदन पर विचार करने का दायित्व है और इस तरह के विचार का मतलब है विवेक का सचेत उपयोग और कर्मचारियों द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण पर वस्तुनिष्ठ आधार पर विचार

करना। डॉ. रवींद्र नाथ सिंह बनाम बिहार राज्य, 1983 पीएलजेआर 92 के मामले में इस न्यायालय की खंडपीठ के निर्णय का संदर्भ दिया गया है।"

6. इसके विपरीत, प्रतिवादी-राज्य के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि विभागीय कार्यवाही के संचालन में जिस प्रक्रिया का पालन किया जाना अपेक्षित था, उसका पालन किया गया है, इसलिए यह न्यायालय अपील में नहीं बैठेगा और साक्ष्य का पुनः मूल्यांकन करेगा, इस प्रकार, दिनांक 30.6.2015 के आरोपित आदेश में कोई त्रुटि नहीं है।

7. मैंने पक्षों के विद्वान वकील को सुना है और अभिलेख पर सामग्री का अवलोकन किया है। जैसा कि याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा बताया गया है और पिछले पैराग्राफ में दर्ज किया गया है, अभिलेखों से यह स्पष्ट है कि वर्तमान मामला साक्ष्य का मामला नहीं है। इस न्यायालय ने आगे पाया कि दिनांक 30.6.2015 का आरोपित आदेश न केवल रहस्यमय है, बल्कि एक अतार्किक आदेश भी है, जो पूरी तरह से विवेक का प्रयोग न करने को दर्शाता है, क्योंकि इसमें याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत बचाव को ध्यान में नहीं रखा गया है, इसके अलावा प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा याचिकाकर्ता को दंडित करने के लिए कोई स्पष्ट, ठोस और संक्षिप्त कारण प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। यह एक सामान्य कानून है कि आरोपित आदेश के समर्थन में स्पष्ट, ठोस और संक्षिप्त कारण प्रस्तुत करना निर्णय लेने की प्रक्रिया का एक अनिवार्य घटक है। इस संबंध में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ओरिक्स

फिशरीज प्राइवेट लिमिटेड बनाम भारत संघ, (2010) 13 एससीसी 427 के मामले में दिए गए निर्णय का संदर्भ दिया जाना चाहिए।

10. *इसके विपरीत,* प्रतिवादी-राज्य के विद्वान वकील ने वर्तमान रिट याचिका का विरोध किया है और प्रस्तुत किया है कि चूंकि अनुशासनात्मक कार्यवाही के संचालन में कोई प्रक्रियात्मक अनियमितता/अवैधता नहीं है, इसलिए किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह न्यायालय अपील में नहीं बैठेगा और साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन नहीं करेगा। प्रतिवादी-राज्य के विद्वान वकील द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ***यूनियन ऑफ इंडिया बनाम पी. गुनासेकरन*** के मामले में दिए गए निर्णय का संदर्भ दिया गया है, जिसकी रिपोर्ट ***(2015) 2 एससीसी 610*** में दी गई है, जिसके पैराग्राफ संख्या 12 और 13 नीचे पुनः प्रस्तुत किए गए हैं:-

> *"12. सुस्थापित स्थिति के बावजूद, यह देखना दुखद है कि उच्च न्यायालय ने अनुशासनात्मक कार्यवाही में अपीलीय प्राधिकरण के रूप में कार्य किया है, यहां तक कि जांच अधिकारी के समक्ष साक्ष्य की भी पुनः समीक्षा की है। आरोप । पर निष्कर्ष अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा स्वीकार किया गया था और केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा भी इसका समर्थन किया गया था। अनुशासनात्मक कार्यवाही में, उच्च न्यायालय प्रथम अपील की दूसरी अदालत के रूप में कार्य नहीं कर सकता है। उच्च न्यायालय, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, साक्ष्य की पुनः समीक्षा करने का जोखिम नहीं उठाएगा। उच्च न्यायालय केवल यह देख सकता है कि:*
>
> *(क) जांच सक्षम प्राधिकारी द्वारा की गई है;*
>
> *(ख) जांच उस संबंध में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की गई है;*
>
> *(ग) कार्यवाही के संचालन में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ है;*

(घ) अधिकारियों ने मामले के साक्ष्य और गुण-दोष से इतर कुछ विचारों के कारण निष्पक्ष निष्कर्ष पर पहुंचने में खुद को अक्षम कर लिया है;

(ङ) अधिकारियों ने खुद को अप्रासंगिक या बाहरी विचारों से प्रभावित होने दिया है;

(च) निष्कर्ष, पहली नजर में, इतना मनमाना और मनमानीपूर्ण है कि कोई भी विवेकशील व्यक्ति ऐसे निष्कर्ष पर कभी नहीं पहुंच सकता;

(छ) अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने स्वीकार्य और भौतिक साक्ष्य को स्वीकार करने में गलती की है;

(ज) अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने अस्वीकार्य साक्ष्य को गलती से स्वीकार कर लिया है जिसने निष्कर्ष को प्रभावित किया है;

(झ) तथ्य का निष्कर्ष किसी साक्ष्य पर आधारित नहीं है।

13. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत उच्च न्यायालय निम्न कार्य नहीं करेगा: (i) साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन नहीं करेगा;

(ii) जांच के निष्कर्षों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, यदि जांच विधि के अनुसार की गई है; (iii) साक्ष्य की पर्याप्तता की जांच नहीं करेगा;

(iv) साक्ष्य की विश्वसनीयता की जांच नहीं करेगा;

(v) हस्तक्षेप नहीं करेगा, यदि कोई कानूनी साक्ष्य हो, जिस पर निष्कर्ष आधारित हो सकते हैं।

(vi) तथ्य की त्रुटि को सही करेगा, चाहे वह कितनी भी गंभीर क्यों न हो;

(vii) दंड की आनुपातिकता पर विचार नहीं करेगा, जब तक कि यह उसके विवेक को झकझोर न दे।"

11. इस मोड़ पर, यह कहना पर्याप्त होगा कि प्रतिवादी-राज्य के विद्वान वकील द्वारा संदर्भित निर्णय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ***पी. गुनासेकरन*** (सुप्रा) के मामले में दिया गया, कानून का एक स्थापित प्रस्ताव निर्धारित करता है, जो विवाद में नहीं है, हालांकि वर्तमान मामले के तथ्य और परिस्थितियां और इसमें शामिल मुद्दे काफी विशिष्ट हैं।

12. मैंने पक्षों के विद्वान वकील को सुना है और रिकॉर्ड पर सामग्री का अवलोकन किया है। यह न्यायालय पाता है कि दिनांक 17.02.2022 के आरोप ज्ञापन में विभाग द्वारा जांचे जाने वाले गवाहों की सूची नहीं है, इसलिए यह नियम, 2005 के नियम 17(3) के साथ बिहार सरकार के खिलाफ आरोप के अनुच्छेदों के नियम 3 का उल्लंघन है। नौकर विनियम, 2017। मामले का यह पहलू ***अश्विनी कुमार (सुप्रा) और फ्रेडरिक जूलियस डेविड*** (सुप्रा) के मामलों में दिए गए निर्णयों द्वारा कवर किया गया है, जिसमें यह माना गया है कि आरोप साबित करने के लिए गवाहों की सूची प्रदान करना आवश्यक तत्वों में से एक है, जिसके बिना आरोप पत्र स्वयं वैधानिक नुस्खे से परे है। इसलिए, यह न्यायालय पाता है कि चूंकि 17.02.2022 का आरोप ज्ञापन स्वयं दोषपूर्ण है, इसलिए संपूर्ण विभागीय कार्यवाही दोषपूर्ण है।

13. इस न्यायालय ने आगे पाया कि जांच अधिकारी ने अपनी जांच रिपोर्ट दिनांक 08.06.2022 में दो गवाहों, अर्थात् कामाख्या नारायण सिंह और डॉ. के.एन. तिवारी के बयान पर विचार किया है, ताकि इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके कि याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोप साबित हुए हैं, हालांकि, यह स्वीकार किया जाता है कि न तो उक्त गवाहों से कभी जांच अधिकारी द्वारा पूछताछ की गई, याचिकाकर्ता की उपस्थिति में तो बिल्कुल भी नहीं और न ही याचिकाकर्ता को कभी भी उक्त गवाहों से जिरह करने का कोई अवसर दिया गया, इस प्रकार, उक्त दो गवाहों के बयानों का उपयोग विभागीय जांच में याचिकाकर्ता को दोषी ठहराने के उद्देश्य से नहीं किया जा सकता है। यह एक सामान्य कानून है कि जिस व्यक्ति को किसी आरोप का उत्तर देने की आवश्यकता होती है, उसे न केवल आरोप के बारे में पता होना चाहिए, बल्कि उस साक्ष्य के बारे में भी पता होना चाहिए जिसके द्वारा आरोप का समर्थन

किया जाता है और इस प्रकार अपराधी को आरोप के समर्थन में साक्ष्य सुनने और गवाहों से जिरह करने का उचित अवसर दिया जाना चाहिए और ऐसा न होने पर, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन होगा जिसके लिए जांच रिपोर्ट को रद्द कर दिया जाना चाहिए। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ***बृज बिहार सिंह*** (सुप्रा) के मामले में दिए गए निर्णय और ***प्रदीप सिंह*** (सुप्रा) के मामले में इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा दिए गए निर्णय का संदर्भ दिया जाना चाहिए।

14. दिनांक 08.06.2022 की जांच रिपोर्ट के मात्र अवलोकन से पता चलता है कि याचिकाकर्ता को दोषी ठहराने और उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों में उसे दोषी ठहराने का एकमात्र आधार कामाख्या नारायण सिंह का बयान है, जिसे कानूनी तौर पर याचिकाकर्ता के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि न तो उक्त गवाह से कभी जांच अधिकारी द्वारा पूछताछ की गई, याचिकाकर्ता की उपस्थिति में तो बिल्कुल भी नहीं और न ही याचिकाकर्ता को कभी भी उक्त गवाह से जिरह करने का कोई अवसर दिया गया, इसलिए उक्त कामाख्या नारायण सिंह के साक्ष्य को छोड़कर, याचिकाकर्ता को उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों में दोषी ठहराने के लिए कोई अन्य साक्ष्य तो दूर की कोई सामग्री भी रिकॉर्ड पर उपलब्ध नहीं है, खासकर इस तथ्य के मद्देनजर कि अभियोजन पक्ष द्वारा न तो होटल के प्रबंधक, न ही संबंधित महिला और न ही संबंधित बच्चों की जांच की गई है। यह न्यायालय आगे पाता है कि उप पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अभियोजन पक्ष द्वारा कोई अन्य साक्ष्य (मौखिक या दस्तावेजी) पेश नहीं किया गया है। पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) दिनांक 29.12.2021 को एक हलफनामा दायर किया गया था, जिसे न तो प्रदर्शित किया गया और न ही साबित किया गया।

इसलिए, इस मामले के तथ्यों में, यह न्यायालय यह मानने के लिए विवश है कि अपने मामले के समर्थन में कोई ठोस सबूत पेश न करके, प्रतिवादी अधिकारी याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोपों को साबित करने में विफल रहे हैं, इसलिए जांच रिपोर्ट अपना सारा महत्व खो देती है, खासकर इसलिए क्योंकि यह बिना किसी सबूत के आधारित है। नतीजतन, जांच अधिकारी की दिनांक 08.06.2022 की रिपोर्ट विकृत और बिना किसी सबूत के आधार पर खारिज की जाती है। यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर भी पहुंचता है कि चूंकि याचिकाकर्ता को गवाहों से जिरह करने का कोई अवसर नहीं दिया गया था, इसलिए प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन किया गया है, इस प्रकार, इस आधार पर भी, दिनांक 08.06.2022 की जांच रिपोर्ट खारिज किए जाने योग्य है।

15. परिणामस्वरूप, दिनांक 08.06.2022 की एक औपचारिक और अवैध जांच रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 28.10.2022 का दंडात्मक आदेश, जिसे पहले ही रद्द कर दिया गया है, अब टिकने लायक नहीं रह गया है, इसलिए इसे भी रद्द किया जाता है। फिर भी, यहाँ यह बताना पर्याप्त होगा कि दिनांक 28.10.2022 के बर्खास्तगी के आरोपित आदेश का मात्र अवलोकन यह दर्शाता है कि याचिकाकर्ता को बर्खास्तगी की सजा देने के लिए अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा कोई स्पष्ट, ठोस और संक्षिप्त कारण प्रस्तुत नहीं किए गए हैं और इसके अलावा यह न तो किसी प्रकार का विवेक दर्शाता है, न ही इसमें शामिल मुद्दों पर विचार किया गया है और न ही बर्खास्तगी का आदेश पारित करने का कोई औचित्य दर्शाया गया है, और न ही यह याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 26.07.2022 को दायर किए गए उत्तर के माध्यम से प्रस्तुत किए गए बचाव पर विचार दर्शाता है, इसलिए इस आधार पर भी, दिनांक 28.10.2022

का सजा का आरोपित आदेश अपास्त किए जाने योग्य है। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ***ओरिक्स फिशरीज प्राइवेट लिमिटेड बनाम भारत संघ, (2010) 13 एससीसी 427*** में रिपोर्ट किया गया और इस न्यायालय द्वारा आभा कुमारी (सुप्रा) के मामले में दिया गया निर्णय दिए गए निर्णय का संदर्भ लिया जाना चाहिए।

16. दिनांक 08.06.2022 की जांच रिपोर्ट और दिनांक 28.10.2022 के दण्ड आदेश को निरस्त किये जाने के परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ता द्वारा दायर अपील/समीक्षा/मेमोरियल को खारिज करने वाला दिनांक 19.06.2023 का आदेश भी टिकने लायक नहीं रह गया है, अतः उसे भी निरस्त किया जाता है।

17. अब बकाया वेतन के भुगतान के साथ-साथ सेवानिवृत्ति लाभों के अनुदान के मुद्दे पर आते हैं, इस न्यायालय ने पाया है कि चूंकि विचाराधीन अनुशासनात्मक कार्यवाही में दुर्भावनापूर्ण तरीके से भाग लिया गया है और अनुशासनात्मक प्राधिकारी की कार्रवाई याचिकाकर्ता को किसी तरह से बर्खास्तगी की सजा देने की साजिश की बू आती है और रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री पर्याप्त रूप से प्रदर्शित करती है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को ताक पर रख दिया गया है और याचिकाकर्ता को प्रताड़ित किया गया है, इस प्रकार यह न्यायालय इस विचार पर है कि दिनांक 08.06.2022 की जांच रिपोर्ट, दिनांक 28.10.2022 के दंड के आदेश और याचिकाकर्ता की अपील/समीक्षा/स्मरण पर पारित दिनांक 19.06.2023 के आदेश को रद्द करने के परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ता माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मामले में निर्धारित कानून के मद्देनजर सभी परिणामी लाभों के साथ-साथ सेवानिवृत्ति बकाया के साथ पूर्ण बकाया वेतन पाने का हकदार है। ***दीपाली गुंड्र सुरवासे***

बनाम क्रांति जूनियर अध्यापक महाविद्यालय एवं अन्य, रिपोर्ट (2013) 10 एससीसी 324 में रिपोर्ट किया गया।

18. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए तथा उपरोक्त कारणों से, रिट याचिका को स्वीकार किया जाता है तथा प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाता है कि वे याचिकाकर्ता को आज से तीन महीने की अवधि के भीतर पूरा वेतन, सभी परिणामी लाभ तथा सेवानिवृत्ति बकाया का भुगतान करें।

(मोहित कुमार शाह, न्यायमूर्ति)

कंचन।/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।